अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

335/2022 | 225 मधुलता V/S सावित्री देवी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री N. S. राजावत श्री	

14/11/22

श्रीमती मधुलता बनाम श्रीमती सावित्री देवी वगैरह (335/2022) पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.11.2022 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलांट/प्रार्थीया द्वारा उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में अपने हक में जिला कलक्टर,अजमेर द्वारा अपील संख्या 18/2014 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2017 व उसकी पालना में तहसीलदार, पुष्कर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 02/2018 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2018 एवं उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 10.08.2018 सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक प्रावधान प्रस्तुत कर उक्त वर्णित भूमियों को पैतृक होकर अविभाजित 1/8 हिस्सा निहित होना तथा प्रार्थी/अपीलांट के विधवा एवं वृद्ध महिला होने के आधार रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण द्वारा अविधिक रूप से अन्तरण व परिवर्तन किये जाने पर आमादा होने सम्बन्धी तथ्यों को प्रमाणित कर दिया गया जिससे सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी अपीलाट /प्रार्थीया के पक्ष में विद्यमान होने के उपरान्त भी उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 51/2022 पर विधिवत सुनवाई किये जाने के उपरान्त भी स्थगन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवेचन व विश्लेषण किये बिना आदेश दिनांक 18.10.2022 पारित किये जाने में विधिक त्रुटि किये जाने से आदेश दिनांक 18.10.2022 परिवर्तित/संशाधित कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किय जाने हेतु यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थीया/अपीलांट के अधिवक्ता को सुने जाने के उपरानत भी स्थगन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर आदेश दिनांक 18.10.2022 पारित करते हुए जानबूझकर रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को एक प्रकार से अविधिक कृत्य किये जाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है जो न्याय की कतई मंशा नहीं है। संयुक्त खातेदारी भूमि के विशिष्ट भू-भाग को अन्तरण कर भौतिक स्वरूप में परिवर्तन किय जाने पर आमादा है। प्रकरण में वर्णित अभिवचनों, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानो के तहत प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं कानून, न्याय व समानता प्रार्थीया के पक्ष में विद्यमान करते है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर अवस्थित वर्तमान खसरा नम्बर 304 व 305/2667 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1600 है0 भूमि को किसी प्रकार से रहन, बय व मुनतकिल नहीं किये जाने तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम पर दिनांक 18.10.2022 को यह आदेश पारित किये है कि "प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 07.12.2022 को पेश हो।" प्रार्थीया/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.10.2022 की पालना जारी किये गये नोटिस लौट कर नही आने से पूर्व यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। प्रार्थीया/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

385/2022/225 मधुलता व/स सावित्री

तारीख	2022/335	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री	श्री

लगातार

उक्त आदेश के प्रति चाराजोही करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 , 209 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है। न्यायहित मे हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निस्तारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। पक्षकार को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.12.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर